केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :49 अंक 99 शनिवार 31 अक्टूबर 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

हत्या मामले में आजीवन कारावास

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। हत्या के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी गोपी शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्ती ने 30 अक्टूबर को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने उस पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस के अनुसार, 25 अप्रैल 2025 को वादी की तहरीर पर थाना परसरामपुर में गोपी शर्मा पुत्र पित्तरदीन निवासी निपनिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसके बाद विवेचक ने मामले की जांच पूरी कर साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती और थाना परसरामपुर पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। पुलिस की ओर से न्यायालय में मामले की पैरवी की गई। इसके फलस्वरूप 30 अक्टूबर 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त गोपी शर्मा को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की ओर से बताया गया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दर्ज मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पैरवी सेल और संबंधित थानों की पुलिस न्यायालय में मामलों की नियमित पैरवी कर रही है।

स्वामी दयानंद सरस्वती को पुण्यतिथि पर किया नमन्

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। पूरी दुनिया को वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 143वीं पुण्यतिथि ऋषि निर्वाण दिवस के पावन अवसर पर सुरतीहट्टा स्थित स्वामी दयानंद पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में भव्य यज्ञानुष्ठान, वेद पाठ तथा विचार गोष्ठी का आयोजन अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, आर्य समाज के पदाधिकारियों तथा विद्यालय के शिक्षकों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक परंपरा के अनुसार देवयज्ञ (हवन) एवं वेद पाठ से हुआ। ओमप्रकाश आर्य प्रधान, आर्य समाज नई बाजार, बस्ती के सानिध्य में उच्चारित विशेष वैदिक मंत्रों के मध्य उपस्थित संभ्रांत जनों एवं शिक्षार्थियों ने राष्ट्र कल्याण, समाज सुधार और ज्ञान के प्रकाश के प्रसार हेतु यज्ञ कुंड में आहुतियां अर्पित कीं।

यज्ञ के पश्चात मुख्य वक्ता ओम प्रकाश आर्य ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती केवल एक सन्यासी नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के महान वैचारिक क्रांतिद्रष्टा थे।

शिक्षकों ने उपस्थित जनों से स्वामी जी के 5 प्रमुख नियमों जैसे सत्य बोलना, प्रतिदिन हवन व योग करना, बड़ों का सम्मान करना, नशे से दूर रहना और पढ़ाई को पूजा समझना, को अपने आचरण में आत्मसात करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर आदित्य नारायण गिरि, गरुण ध्वज पाण्डेय, अनूप कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार मौर्य, अरविन्द श्रीवास्तव, नितीश कुमार, अनीशा मिश्रा, महिमा, स्वप्नल विश्वकर्मा, महक मिश्रा शिवांगी गुप्ता, अंशिका पाण्डेय, ज्योति सोनी तथा आर्य समाज से जुड़े अनेक संभ्रांत नागरिक उपस्थित रहे।

भाजपा अंगद का पांव: यूपी में 30 वर्ष तक रहेगी भाजपा की सरकार–अमित शाह

लखनऊ (आभा)। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा के थिंक टैंक माने जाने वाले अमित शाह की देखरेख में अपने अभियान को धार देने के लिए भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी कवायद तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे और उत्तर प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति की बैठक का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे।

अमित शाह ने कहा कि यूपी में 30 वर्ष तक भाजपा की सरकार रहेगी। राहुल गांधी अगले 30 साल चुनाव नहीं जीतेंगे। शाह ने उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अंगद का पांव है, जिसे कोई हिला नहीं सकता।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिग्गजों की मौजूदगी में भाजपा उत्तर प्रदेश की टीम में जोश भरा और कहा कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बना दो यहां भी यूसीसी लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है। उन्होंने

कहा कि आप उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएं और हम यहां यूसीसी लागू करेंगे।

वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने राहुल और अखिलेश को खुली चुनौती दी। अमित शाह ने कहा कि मैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को चुनौती देता हूं कि आइए संसद में वोट चोरी पर चर्चा करते हैं। विशेष सत्र का आयोजन करते हैं। हम जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन ये लोग संसद में चर्चा नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देना चाहता हूं कि इनके नेतृत्व में सरकार ने कठोर शासन देकर यूपी को माफिया से मुक्त किया। अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कानून–व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस व्यवस्था से जुड़े आंकड़े पेश किए। उन्होंने सपा–बसपा सरकारों के कार्यकाल की तुलना योगी सरकार से करते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने सीमित पुलिस बल और प्रदेश की बड़ी आबादी की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि इन परिस्थितियों में भी कानून–व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।

बदरीनाथ धाम से लौट रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्तः 6 की मौत

जोशीमठ (आभा)। उत्तराखण्ड राज्य के चार धामों में प्रमुख बदरीनाथ धाम से फाटा वापस लौट रहा एक हेलीकॉप्टर शुक्रवार को क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग सवार थे जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार के मुताबिक, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पायलट सहित सभी 6 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस, एसडीआरएफ और सेना की संयुक्त टीमें घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं। सभी शवों को दुर्गम घटनास्थल से सड़क मार्ग तक लाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।

सभी यात्री बेंगलुरु के बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में पायलट हिमांशु, यात्रियों में प्रधापा, अरुण सालुंके, शंकरगौड़ा वीजी, सुधीर के और एच. एस. नागाराजा सवार थे। राहत और बचाव के लिए पुलिस, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी मौके के लिए रवाना हो गई थी।

बस्ती में भी चकवात का असर धान की फसल को नुकसान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिले में अर्नव चक्रवात का असर दिखने लगा है। गुरुवार को पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे, जबकि शुक्रवार सुबह से ही मौसम बदल गया। सुबह रिमझिम बारिश शुरू हुई और करीब 11रू30 बजे से तेज बारिश होने लगी। लगातार बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिले में बेमौसम बारिश से किसानों की धान की फसल को नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी फसल की कटाई समय पर नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि सालभर की मेहनत और खेती पर लगाया पैसा इसी फसल पर निर्भर है। बारिश जारी रही तो उन्हें आर्थिक नुकसान हो सकता है।

खेती के लिए किसानों ने खाद, बीज, डीजल, मजदूरी और सिंचाई पर खर्च किया है। फसल घर लाने के समय मौसम बदलने से उनकी कमाई पर असर पड़ रहा है। किसानों को पहले भी बाढ़, सूखा और आग से फसल खराब होने की चिंता रही है। अब बेमौसम बारिश ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है।

बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट से मौसम ठंडा हो गया। अचानक बदले मौसम के कारण लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी। बाजारों और सड़कों पर भी बारिश का असर दिखाई दिया।

मौसम विभाग के अनुसार जिले में अभी भी तेज बारिश होने के आसार बने हुए हैं। आसमान में बादल छाए रहने और बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। ऐसे में अगले कुछ घंटों तक मौसम में बदलाव बना रह सकता है।

12 सूत्रीय मांगों को लेकर सिंचाई संघ ने सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददात

बस्ती। शुक्रवार को सिंचाई संघ अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों, कर्मचारियों ने 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी व अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से विभाग व शासन को भेजकर समस्याओं निदान की मांग किया।

नलकूप कॉलोनी स्थित संघ भवन पर भारी बारिस के बीच सैकड़ो कर्मचारी इकठ्ठा होकर अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्डको ज्ञापन सौपा जो विभागाध्यक्ष व प्रमुख सचिव सिचाई को सम्बोधित था। वहाँ से चलकर प्रदर्शन करते हुए शास्त्री चौक होते हुए कर्मचारी अपने मांगो के समर्थन में पुरानी पेशन बहाल हो सेवा नियमावली संशोधित हो ग्रेड पे ऊच्चीकृत हो, पदोन्नति के अवसर प्रदान हो आदि नारो के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुँच कर प्रशासनिक अधिकारी को मुख्यमंत्री, सिचाई मंत्री, मुख्य सचिव को सम्बोधित 12 सूत्रीय मांगो का ज्ञापन सौंपा।

अधिशासी अभियन्ता व प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ज्ञापन शासन व विभागध्यक्ष को भेजे जाने का आश्वासन दिया गया। अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि ज्ञापन में मांग किया गया है कि सिचाई विभाग के सींचपाल, नलकूप चालक के रिक्त पदों पर तथा जिलेवार के प्रस्तावित पदोन्नति कार्यवाही समसय कराये जायें।

नलकूप चालक का वेतन ऊच्चीकृत कर ग्रेड पे 2400–00 समानता के आधार पर किये जाए। पदोन्नति की व्यवस्था सुदृण करने हेतु सेवा नियमावली संशोधित किये जाए।

ज्ञापन सौपने वालों में संघ के संरक्षक राम स्वारथ चौधरी, राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष महेन्द्र चौहान, पूर्व परिषद मंत्री गौरीशंकर, पेंशनर संस्था के मंडल प्रतिनिधि रमेश श्रीवास्तव, सुभाष चन्द्र मिश्र, सिचाई संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष परशुराम त्रिपाठी, मंत्री राजेश कुमार, विजय कुमार यादव, भानू बाबू, हरेन्द्र बहादुर सिंह, हनिमन्त प्रसाद पाण्डेय, दिनेश कुमार सिंह, राम बहादुर सिंह, आज्ञा राम यादव, राम सवेरे, संतोष श्रीवास्तव, हृदय राम चौधरी, बृजनन्दन तिवारी, आशुतोष तिवारी, विनोद कुमार, ओम प्रकाश, कृष्ण प्रसाद यादव, शंशाक शेखर उपाध्याय, पुरुषोत्तम कुमार, शैलेष कुमार, आनन्द कुमार आदि शामिल रहे।

किसान सम्मान निधि योजना की दिया जानकारी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के हस्तांतरण का सजीव प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र, बस्ती पर गुजरात के बनासकांठा से लाइव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष, किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी वरुण पाण्डेय, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी एवं समस्त वैज्ञानिकगण, संयुक्त कृषि निदेशक राम बचन राम, उप कृषि निदेशक अशोक कुमार तथा वैज्ञानिकगण, कृषि एवं संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर जनपद के लगभग 155 कृषक एवं महिला कृषकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता एवं इसके महत्व के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर प्रगतिशील किसान अवनींद्र कुमार दुबे, राजेंद्र सिंह एवं महिला किसान श्रीमती संजू श्रीमती रेनू सिंह को सम्मानित किया गया तथा खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि प्रचार वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य जनपद के कृषकों एवं महिला कृषकों को केंद्र एवं राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। इस अवसर पर कृषि विज्ञानं केंद्र के वैज्ञानिक डा. पी. के. मिश्रा, हरिओम मिश्रा, आर. वी. सिंह, विनोद बहादुर सिंह, डा अंजलि वर्मा तथा केंद्र के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

भूटान में ग्लेशियर झील फटी, भारत के बंगाल और असम में हाई अलर्ट

नई दिल्ली (आभा)। भूटान में एक ग्लेशियर झील फटने के बाद असम और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट जारी किया गया है. भूटान के लेमथांग में गुरुवार रात को एक ग्लेशियल झील फटी है, जिसका पानी तेजी से आगे बढ़ रहा है. संभावित खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल में संकोश नदी के किनारे रहने वाले और असम में रहने वाले लोगों को एहतियातन सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है. दरअसल इन जगहों पर भूटान से पानी बहकर आने का खतरा बना हुआ है।

सूत्रों के मुताबिक, भूटान ने भारत को निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड के बारे में अलर्ट किया है, ये अलर्ट उत्तरी बंगाल के जिलों में निचले इलाकों के लिए है. इसका खतरा भूटान की सीमा से लगे निचले असम के जिलों पर असर पड़ने की भी आशंका है. दार्जिलिंग की पहाड़ियों, तराई और डुआर्स क्षेत्र के सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

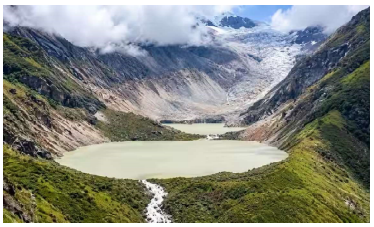

बाढ़ का पानी पुनाखा जोग से लगभग आठ किलोमीटर दूर.कबेसा गेवोग के श्रीगंग इलाके तक पहुंच चुका है। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. झील के पानी से आई बाढ़ की वजह से गासा त्सापू की सभी सुविधाएं पूरी तरह बह गई हैं. हालांकि, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, क्योंकि इस इलाके को पहले ही खाली करा लिया गया था.इससे पहले 26 अगस्त 2021 को भी एक भीषण बाढ़ ने गासा त्सापू को बहा दिया था, जब उफान पर चल रही मोचू नदी ने अपना रास्ता बदलकर गर्म पानी के झरने (हॉट स्प्रिंग) की ओर रुख कर लिया था.

भूटान में हुई आपदा के बारे में उत्तर बंगाल विकास मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने कहा कि कूचबिहार प्रशासन ने संकोश नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया है. जरूरत पड़ने पर राहत सामग्री की जरूरत पड़ने पर ध्यान देने को कहा गया है. इलाकों में माइक से घोषणा की गई है।

सीसीटीवी कैमरों से हुई पीईटी परीक्षा की निगरानी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)–2026 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने प्रथम पाली में विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा संचालन, सुरक्षा व्यवस्था तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जा रही निगरानी का जायजा लिया। बरसात के चलते परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने एएसएचएस एण्ड जी.आर.एस इण्टर कालेज, खैर इण्डस्ट्रियल इण्टर कालेज, इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज कप्तानगंज स्थित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने केंद्रों पर अभ्यर्थियों के प्रवेश, परीक्षा कक्षों की व्यवस्था तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि परीक्षा आयोग के निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराई जाए तथा अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए।

निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। उन्होंने कैमरों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की निगरानी व्यवस्था देखी। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा कक्षों एवं अन्य निर्धारित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना ने कहा कि परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी केंद्र व्यवस्थापक एवं संबंधित अधिकारी अपने दायित्वों का पूरी गंभीरता से निर्वहन करें। परीक्षा के दौरान आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। सभी संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाएं। प्रशासन द्वारा परीक्षा की व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

एड्स नियंत्रण कार्यशाला में प्रशिक्षण के साथ व्यावहारिक पहल पर व्यापक चर्चा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी एवं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सहयोग से राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीआई नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण–सह–संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. राजीव नागम, एसआईसी डा. सुजीत कुमार यादव, डिप्टी सीएमओ डा. विनोद, जिला क्षय रोग अधिकारी एवं एसीएमओ डा. ए.के. गुप्ता, डिप्टी डीटीओ डा. अशोक कुमार चौधरी, एसीएमओ (आरसीएच) डा. बृजेश कुमार शुक्ला, एसीएमओ डा. अशोक कुमार गुप्ता, नोडल एआरटी सेंटर डा. महेश प्रसाद, नोडल डीएसआरसी डा. रामानुग्रह, नोडल ब्लड सेंटर डा. दीपक श्रीवास्तव तथा डीपीटीसी/एचआईवी–टीबी श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव सहित जनपद के अनेक चिकित्सा अधीक्षक एवं प्रभारी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में पीएचएफआई के मास्टर ट्रेनर एवं एक्सपर्ट उमेश रावतरे, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सपर्ट प्रसाद संत एवं कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफिसर नीरज श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन किया। इसके अतिरिक्त दीता टीम से सीपीएम अखिलेश सिंह, सीएसओ सुभाष चन्द्र यदुवंशी एवं डीएमडीओ श्रीमती अनुपम शुक्ला ने भी विभिन्न विषयों पर प्रतिभागियों को जानकारी दी।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा अधिकारियों एवं संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीआई नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों, रणनीतिक प्राथमिकताओं तथा जिला स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अद्यतन जानकारी एवं व्यावहारिक समझ प्रदान करना था। साथ ही एचआईवी संक्रमण की रोकथाम, समय से पहचान, जांच, उपचार एवं मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों की क्षमता को सुदृढ़ करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य रहा।

प्रशिक्षण के दौरान एचआईवी, एड्स की वर्तमान स्थिति, लक्ष्य, जिला स्तर पर एचआईवी महामारी की स्थिति, एनएसीपी की संरचना, डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी फॉर एचआईवी/एड्स तथा मोबिलाइजेशन फॉर एड्स सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी एवं सहभागी बनाने के लिए केस स्टडी, प्रेजेंटेशन, समूह चर्चा एवं व्यावहारिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इससे प्रतिभागियों को जिला स्तर पर एचआईवी सेवाओं के प्रबंधन, समन्वय एवं प्रभावी क्रियान्वयन की बेहतर समझ विकसित करने में सहायता मिली। कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों की राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित जानकारी एवं व्यावहारिक क्षमता को सुदृढ़ किया गया।

–मरीजों के स्वास्थ्य सेवा की दिया जानकारी

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 31 अक्टूबर 2026 शनिवार

सम्पादकीय

एसआईआर और सर्वोच्च न्यायालय

दिल्ली के एसआईआर से जुड़ी एक याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जस्टिस जयमाल्य बागची ने ऐसे सवाल पूछे जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के एसआईआर के मूल मुद्दे तक पहुंचते हैं। अगर कोई मौजूदा मतदाता गणना फॉर्म के मामले में "लापरवाह या निष्क्रिय" था या उसने "जवाब नहीं दिया", तो क्या यह आयोग के लिए "उसे हमेशा के लिए मताधिकार से वंचित" करने का आधार हो सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आयोग उन मतदाताओं के मामले में "गलती" पर है, जिनके नाम गणना फॉर्म न लौटाने के कारण हटा दिये गये, और उन्हें फॉर्म 6 के जरिए दोबारा आवेदन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है मानो वे नये मतदाता हों। उसने पूछा कि जिन मतदाताओं ने अपना निवास बदल लिया है वे महज यह ब्योरा क्यों नहीं दे सकते और हटाये गये मतदाता देरी से गणना फॉर्म क्यों नहीं भर सकते। यह एसआईआर के केंद्रीय डिजाइन की खामी है, क्योंकि यह सूची में नाम जोड़ने का बोझ राज्य से हटाकर मतदाता पर डाल देता है, उन मतदाताओं पर भी जो पहले वोट डाल चुके हैं। इसके अलावा, यह सिर्फ पते में बदलाव को नाम हटाने का आधार मान लेता है। बिहार में "दूसरी जगह जा चुके" या "अनुपस्थित" के रूप में दर्ज मसौदा विलोपनों का हिस्सा 55 फीसदी था, जो तीसरे चरण के राज्योंध्केंद्रशासित प्रदेशों में बढ़कर 72 फीसदी हो गया। कर्नाटक में, गणना के दौरान "दूसरी जगह जा चुके" या "अनुपस्थित" के रूप में चिह्नित करके लगभग 84 लाख मतदाता हटा दिये गये। लेकिन दावे के चरण में, नये मतदाताओं को मिलाकर कुल 8.2 लाख लोग ही जुड़ पाये, और अंतिम मतदाता सूची में अनुमानित वयस्क आबादी से 64.5 लाख लोग कम रहे। दूसरी जगह चले गये मतदाताओं को नये आवेदक के तौर पर पुनरू पंजीकरण कराने के लिए कहना, उस ऐतिहासिक अधिदेश (मैंडेट) को नाकारा बनाता है जो आयोग को मताधिकार का दायरा बढ़ाने के लिए दिया गया है। यह मैंडेट साल 2002–03 के गहन पुनरीक्षण में भी अंतर्निहित था, जहां गणगनाकर्ताओं ने दूसरी जगह चले गये मतदाताओं का उनके नये ठिकानों पर पंजीकरण किया था और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पुरानी प्रविष्टियों को दुरुस्त किया था।

जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि बिहार वाला फैसला कोई "बाध्यकारी नजीर" नहीं है और "तार्किक विसंगतियों" की जांच जिसकी इजाजत पश्चिम बंगाल में केवल एक "अंतरिम व्यवस्था" के तौर पर दी गयी – की वैधता पर अंतिम रूप से फैसला नहीं हुआ है। किसी भी कानून या नियम में मतदाता की पात्रता परिवार के आकार या मतदाता और उसके माता–पिता के बीच उम्र के फासले के आधार पर तय करने का कोई प्रावधान नहीं हैय आयोग की "तार्किक विसंगति" जांचों में ये दोनों बेवकूफाना और एल्गोरिदम– आधारित मापदंड शामिल थे। पश्चिम बंगाल में इन जांचों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों को मताधिकार से वंचित होना पड़ा। विश्लेषण में पाया गया कि दिल्ली में मुसलमानों को गैर–आनुपातिक रूप से चिह्नित किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को समय–सीमा बढ़ाने या ब्लॉक लेटर में छपी हुई सूचियां प्रदर्शित करने जैसे प्रबंधकीय समाधान देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, जैसा कि उसने अतीत में किया है। अंतिम एसआईआर सूचियां त्रुटिपूर्ण हैं, क्योंकि हटाये गये नाम आयोग की चूक से ज्यादा दोषपूर्ण डिजाइन का परिणाम थे। एसआईआर में शिनाख्त की गयी मृतकों और नामों के दोहराव वाली प्रविष्टियां हटायी जानी चाहिए, और नये पात्र मतदाताओं को जोड़ा जाना चाहिए। मसौदा सूचियों से गलत ढंग से हटाये गये मतदाताओं को फिर से शामिल किया जाना चाहिए। आयोग के एसआईआर संचालन के ढंग और उसके सदस्यों की नियुक्ति के तरीके को लेकर जो ज्यादा बड़े सवाल हैं, उनका भी निपटारा किया जाना चाहिए।

ऑनलाइन शराब बिक्री की तैयारी

राजनीति में विपक्ष और सत्ता की भाषा का फर्क नया नहीं है, पर दिल्ली में ऑनलाइन शराब बिक्री को बढ़ावा देने की तैयारी इस फर्क को थोड़ा ज्यादा साफ करती है। दिल्ली में तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार की आबकारी नीति में वेबसाइट और ऐप के जरिए शराब की उपलब्धता का प्रावधान था। तब भाजपा ने इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, महिलाओं की सुरक्षा पर खतरा और भ्रष्टाचार का जरिया बताया था। सड़कों पर प्रदर्शन हुए, घोटाले के आरोप लगे और नीति को 'पाप' तक कहा गया।

आज खुद भाजपा सत्ता में है और वही व्यवस्था उसे सुविधाजनक लगने लगी है। अब सत्ता में आने के बाद भाजपा का तर्क है कि यह सिलसिला पिछली सरकार ने शुरू किया था। सवाल है कि जिस नीति पर भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जिसे वापस लिया गया था, उसी से अब उसे इतना लगाव क्यों दिखने लगा है? पुरानी सरकार की किसी नीति को अगर अवांछित या गलत माना जाता है, तो उसे बदलने या रोकने की जिम्मेदारी नई सरकार की होती है। कोई नीति 'पहले से लागू है' जैसी दलील दरअसल जवाबदेही से पलायन है। यह विरोधाभास दिल्ली तक सीमित नहीं है। पंजाब जैसे राज्य में नशे की समस्या राजनीतिक विमर्श का बड़ा विषय रही है। वहां नशे के खिलाफ अभियान और सरकारों की जवाबदेही पर जोर देने वाले दलों से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वे शराब की उपलब्धता और उसके सामाजिक प्रभावों पर समान कसौटी अपनाएं। नशे के खिलाफ चिंता विपक्ष में रहते हुए ही नहीं, सत्ता में आने के बाद भी दिखनी चाहिए। जिन राज्यों में भाजपा विपक्ष में है, वहां उसके नेता नशे के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं और युवाओं को नशामुक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। जहां सरकार अपनी है, वहां शराब की आसान उपलब्धता पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं। फैसले सरकार के होते हैं, पर संगठन की चुप्पी बताती है कि सिद्धांत सुविधा देखकर तय होते हैं। शराब की ऑनलाइन बिक्री से उपजी आशंकाएं काल्पनिक नहीं हैं। राजनीति में रुख बदलना नई बात नहीं, लेकिन इससे जनता का भरोसा कमजोर होता है। विपक्ष में रहते हुए नैतिकता को मुद्दा बनाना और सत्ता में आने पर राजस्व की दुहाई देना दरअसल कथनी और करनी के फर्क को ही दर्शाता है।

जब शिक्षक–स्नातक राजनीति पर हावी होने लगे राजनीतिक दल

—अखिल कुमार यादव—

शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाने वाले विधान परिषद सदस्यों की असली ताकत उनकी संख्या में नहीं, बल्कि अपने वर्ग की समस्याओं के लिए सदन में स्वतंत्र और प्रभावी आवाज उठाने की क्षमता में निहित है। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का अर्थ केवल चुनाव जीतकर सदन तक पहुंच जाना नहीं है, बल्कि उन लोगों की समस्याओं, अपेक्षाओं और अधिकारों को मजबूती से उठाना भी है, जिनके मतों से कोई प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था इसी भावना के साथ जुड़ी हुई है। इसका उद्देश्य शिक्षकों, शिक्षित वर्गों और स्नातक मतदाताओं को विधायी प्रक्रिया में ऐसा प्रतिनिधित्व देना है, जो सामान्य राजनीतिक समीकरणों से आगे बढ़कर उनके विशिष्ट हितों की पैरवी कर सके। लेकिन समय के साथ इन निर्वाचन क्षेत्रों की राजनीति में जो बदलाव आया है, उसने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया हैकृक्या शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव अब अपने वर्ग के प्रतिनिधि चुनने का माध्यम रह गए हैं या वे स्थापित राजनीतिक दलों के प्रभाव और विस्तार का एक और जरिया बनते जा रहे हैं?

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 100 है। इसमें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से आठ और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से आठ सदस्य निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार कुल 16 सदस्य इन विशेष निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह व्यवस्था अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि संविधान निर्माताओं ने विधायी संस्थाओं में अलग–अलग वर्गों के अनुभव और हितों को स्थान देने की आवश्यकता को स्वीकार किया था। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि इनसे जुड़े मुद्दे अक्सर सामान्य चुनावी राजनीति के शोर में पीछे छूट जाते हैं। शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, पुरानी पेंशन, वेतन विसंगतियां, पदोन्नति, वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों की स्थिति, शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता, विश्वविद्यालयों की समस्याएं, बेरोजगारी, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षित युवाओं के भविष्य जैसे विषय निरंतर संघर्ष और गंभीर नीतिगत हस्तक्षेप की मांग करते हैं। इन समस्याओं का समाधान केवल आश्वासनों से नहीं, बल्कि सदन में निरंतर सवाल उठाने, सरकार को जवाबदेह बनाने और आवश्यक कि ायी एवं नीतिगत बदलावों के लिए दबाव तैयार करने से संभव है।

एक समय उत्तर प्रदेश की शिक्षक राजनीति में पांडेय गुट, ठकुराई गुट, चंदेल गुट, शर्मा गुट और अन्य शिक्षक संगठनों से जुड़े स्वतंत्र राजनीतिक समूहों का उल्लेखनीय प्रभाव था। इन संगठनों की पहचान केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं थी। वे शिक्षकों के बीच काम करते थे, संगठनात्मक नेटवर्क बनाते थे और अपनी मांगों को लेकर सरकार से संघर्ष करते थे। इसी प्रकार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में भी ऐसे प्रत्याशियों की परंपरा रही, जिनकी राजनीतिक पहचान किसी बड़े दल की सदस्यता से अधिक उनके व्यक्तिगत संघर्ष, संगठनात्मक क्षमता और अपने मतदाताओं के बीच विश्वसनीयता पर आधारित होती थी। इन समूहों की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे अपने प्रतिनिधियों को एक राजनीतिक दल की सामान्य चुनावी रणनीति के बजाय अपने वर्ग की समस्याओं के आधार पर जवाबदेह बनाने का प्रयास करते थे। जब शिक्षक समुदाय की किसी मांग पर सरकार उदासीन रहती थी, तब संबंधित प्रतिनिधियों के सामने अपने मतदाताओं के बीच जाकर जवाब देने का सवाल खड़ा होता था। उनका राजनीतिक भविष्य काफी हद तक इसी बात पर निर्भर करता था कि वे शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए कितना संघर्ष कर पाए। इस व्यवस्था में कमियां नहीं थीं, ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा। संगठनात्मक गुटबाजी, नेतृत्व का केंद्रीकरण और लंबे समय तक एक ही समूह के प्रभाव में चुनावी राजनीति बने रहना जैसी समस्याएं भी मौजूद रही होंगी। फिर भी इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण पक्ष थाकृ शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान।

समय के साथ स्थिति बदली। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने इन निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी सक्रियता बढ़ाई। उनके पास चुनाव प्रबंधन, संसाधन, प्रचार तंत्र, संगठन और राजनीतिक संपर्कों की व्यापक व्यवस्था थी। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्र शिक्षक संगठनों और पुराने गुटों के सामने प्रतिस्पर्धा कठिन होती गई। अनेक स्थानों पर स्थापित राजनीतिक दलों से जुड़े उम्मीदवारों का प्रभाव बढ़ा और शिक्षक–स्नातक राजनीति भी व्यापक दलीय प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनती चली गई। यह बदलाव अपने आप में लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। राजनीतिक दलों से जुड़े उम्मीदवार भी शिक्षकों और स्नातकों की समस्याओं के प्रति गंभीर हो सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी दल का सदस्य होते हुए भी अपने वर्ग के हितों के लिए प्रभावी संघर्ष कर सकता है। इसलिए यह मान लेना उचित नहीं होगा कि दलगत राजनीति में आने वाला प्रत्येक प्रतिनिधि अपने मतदाताओं के हितों की उपेक्षा करता है। वास्तविक सवाल राजनीतिक संबद्धता का नहीं, बल्कि प्रतिनिधि की प्राथमिक जवाबदेही का है।

समस्या तब पैदा होती है, जब किसी मुद्दे पर शिक्षकों या स्नातकों के हित और संबंधित राजनीतिक दल की सरकार या संगठन की प्राथमिकताएं एक–दूसरे के विपरीत खड़ी हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रतिनिधि के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, वह अपने मतदाताओं की मांग को प्राथमिकता देते हुए सरकार और अपनी पार्टी के सामने स्पष्ट पक्ष रखे। दूसरा, वह पार्टी के राजनीतिक हितों और अनुशासन को प्राथमिकता देकर अपने वर्ग की मांगों पर अपेक्षाकृत कमजोर रुख अपनाए। यही वह बिंदु है, जहां शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के मूल उद्देश्य पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यदि कोई प्रतिनिधि सदन में पहुंचकर केवल अपनी पार्टी की राजनीतिक लाइन का समर्थन करता रहे और अपने मतदाताओं के मुद्दों पर स्वतंत्र रुप से आवाज न उठा सके, तो फिर उसके और सामान्य राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि के बीच अंतर क्या रह जाएगा?

विधान परिषद में किसी सदस्य की प्रभावशीलता का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि उसने कितनी बार सदन में भाषण दिया या कितने प्रश्न पूछे। यह देखना भी आवश्यक है कि उसने शिक्षकों की सेवा संबंधी समस्याओं पर क्या पहल की, किन मांगों को सरकार तक पहुंचाया, किन नीतिगत फैसलों को प्रभावित किया और अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति कितनी जवाबदेही निभाई। यदि वर्षों से चली आ रही किसी समस्या का समाधान नहीं होता, शिक्षकों को अपने अधिकारों के लिए बार–बार आंदोलन करना पड़ता है और स्नातक मतदाताओं के मुद्दे चुनावी घोषणाओं तक सीमित रह जाते हैं, तो प्रतिनिधित्व की इस व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ऐसे में एक विकल्प पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिएकृक्या शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में स्वतंत्र तथा मजबूत गैर–दलीय संगठनों को फिर से संगठित किया जा सकता है?

इसका अर्थ केवल पुराने गुटों को पुनर्जीवित करना नहीं होना चाहिए। आवश्यकता ऐसे व्यापक मंचों की है, जो शिक्षकों, कर्मचारियों, विश्वविद्यालयों से जुड़े लोगों, शिक्षित युवाओं और स्नातक मतदाताओं के वास्तविक मुद्दों पर आधारित हों। इन मंचों को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और सीमित गुटबाजी से ऊपर उठकर साझा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। शिक्षक संगठनों और स्नातक समूहों को अलग–अलग चुनाव लड़कर अपनी शक्ति कमजोर करने के बजाय उन मुद्दों पर एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाना चाहिए, जिन पर व्यापक सहमति संभव है। उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। प्रत्याशियों का चयन उनकी संगठनात्मक क्षमता, ईमानदारी, सार्वजनिक कार्यों और अपने वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर किया जाना चाहिए। चुनाव से पहले उनसे लिखित प्रतिबद्धता ली जा सकती है कि वे अपने कार्यकाल में किन मुद्दों पर सदन में सवाल उठाएंगे, किन नीतिगत बदलावों के लिए प्रयास करेंगे और मतदाताओं के सामने अपने काम का हिसाब किस प्रकार प्रस्तुत करेंगे। ऐसे संगठन केवल चुनाव के समय सक्रिय होने वाले मंच नहीं होने चाहिए। उन्हें नियमित रूप से शिक्षक सम्मेलनों, स्नातक संवादों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े विमर्शों के माध्यम से अपने मुद्दे सामने लाने चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों के कार्यों का सार्वजनिक मूल्यांकन होना चाहिए। उनके प्रश्नों, बहसों, प्रस्तावों, सरकार को दिए गए ज्ञापनों और अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर की गई पहल का विवरण मतदाताओं तक पहुंचना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को यह महसूस होना चाहिए कि उनकी वास्तविक राजनीतिक शक्ति किसी बड़े दल के समर्थन से नहीं, बल्कि अपने मतदाताओं के विश्वास और अपने संगठन की मजबूती से आती है। हालांकि, स्वतंत्र संगठन खड़ा करने का अर्थ राजनीतिक दलों से स्थायी दूरी बनाना या हर मुद्दे पर सरकार का विरोध करना नहीं है। यदि कोई सरकार शिक्षकों या स्नातकों के हित में निर्णय लेती है, तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए। यदि कोई फैसला उनके हितों के विरुद्ध जाता है, तो उसका विरोध भी उतनी ही मजबूती से होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का वास्तविक अर्थ यही है कि समर्थन और विरोध का आधार नीतियां तथा जनहित हों, न कि केवल राजनीतिक निष्ठा। यह भी समझना होगा कि स्वतंत्र गुट बनाना अपने आप में सफलता की गारंटी नहीं है। यदि ऐसे संगठन पारदर्शी नहीं होंगे, नेतृत्व जवाबदेह नहीं होगा और उम्मीदवार व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करेंगे, तो वे भी समय के साथ उसी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन सकते हैं, जिसकी आलोचना आज की जा रही है। इसलिए संगठन की स्वतंत्रता के साथ उसकी आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था, वित्तीय पारदर्शिता और नियमित जवाबदेही भी आवश्यक है। उत्तर प्रदेश की शिक्षक और स्नातक राजनीति के सामने आज मूल प्रश्न यही है कि इन निर्वाचन क्षेत्रों की विशिष्ट पहचान को कैसे बचाया जाए। क्या इनका उद्देश्य केवल विधान परिषद में 16 सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना है या इन 16 सदस्यों के माध्यम से लाखों शिक्षकों, कर्मचारियों और स्नातक मतदाताओं की समस्याओं को प्रभावी राजनीतिक आवाज देना भी है?

संविधान ने विधान परिषद में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करके प्रतिनिधित्व का एक विशिष्ट रास्ता खोला है। इस व्यवस्था की सार्थकता तभी सिद्ध होगी, जब यहां से चुने गए सदस्य अपने वर्ग के हितों को सदन में प्रभावशाली ढंग से रख सकें। यदि यह व्यवस्था भी सामान्य दलीय राजनीति की सीमाओं में सिमट जाती है, तो इसकी विशिष्टता धीरे–धीरे कमजोर पड़ सकती है। इसलिए समय की मांग है कि शिक्षक और स्नातक संगठन आत्ममंथन करें। उन्हें यह तय करना होगा कि वे स्थापित राजनीतिक दलों के चुनावी समीकरणों का हिस्सा बनकर संतुष्ट रहेंगे या अपने मुद्दों, अपने संगठन और अपनी सामूहिक शक्ति के आधार पर एक स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प तैयार करेंगे। लोकतंत्र में संख्या महत्वपूर्ण होती है, लेकिन संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है उस संख्या का उद्देश्य। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के 16 सदस्य यदि अपने मतदाताओं की समस्याओं पर एकजुट होकर प्रभावी पहल करें, तो वे विधान परिषद में एक मजबूत आवाज बन सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि वे केवल सदन में मौजूद न रहें, बल्कि सदन के भीतर और बाहर अपने वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष करने की क्षमता भी रखें।

शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का भविष्य इस बात से तय होगा कि उनके प्रतिनिधि किस राजनीतिक दल से आते हैं, इससे कहीं अधिक इस बात से तय होगा कि वे किसके प्रति जवाबदेह हैं। प्रतिनिधित्व की असली ताकत सत्ता के करीब होने में नहीं, बल्कि अपने मतदाताओं के अधिकारों के लिए सत्ता से सवाल पूछने का साहस रखने में है।

सिनेमा समाज को संवारे या सोच बिगाड़े

— डॉ. सत्यवान सौरभ—

भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज की सोच, संवेदनाओं, मान्यताओं और व्यवहार को प्रभावित करने वाली एक सशक्त सांस्कृतिक शक्ति है। भारत जैसे बहुभाषी, बहुधार्मिक और विविधतापूर्ण देश में सिनेमा सामाजिक चेतना के निर्माण, सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और जनमत को दिशा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानियाँ कभी समाज की रूढ़ियों को चुनौती देती हैं, तो कभी अनजाने में उन्हीं रूढ़ियों को मजबूत भी करती हैं। इसलिए सिनेमा का मूल्यांकन केवल उसकी लोकप्रियता या व्यावसायिक सफलता के आधार पर नहीं, बल्कि समाज पर पड़ने वाले उसके व्यापक प्रभावों के आधार पर किया जाना चाहिए।

सिनेमा की सबसे बड़ी सकारात्मक भूमिका सामाजिक समस्याओं को जनचर्चा का विषय बनाना है। समाज में अनेक ऐसी समस्याएँ मौजूद रहती हैं, जिन्हें लोग व्यक्तिगत अनुभव के रूप में तो देखते हैं, लेकिन उनके व्यापक सामाजिक स्वरूप को समझ नहीं पाते। फिल्में इन समस्याओं को मानवीय कहानियों के माध्यम से सामने लाकर लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर ने बच्चों में डिस्लेक्सिया जैसी सीखने संबंधी कठिनाइयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इसने शिक्षा व्यवस्था को यह संदेश दिया कि प्रत्येक बच्चा अलग क्षमता और सीखने की शैली रखता है। बच्चों की तुलना करने के बजाय उनकी विशिष्ट प्रतिभाओं को पहचानना आवश्यक है। इसी प्रकार, पैडमैन ने मासिक धर्म स्वच्छता जैसे विषय पर सामाजिक चुप्पी तोड़ने और जागरूकता बढ़ाने में भूमिका निभाई।

महिलाओं की गरिमा, समानता और अधिकारों के संदर्भ में भी भारतीय सिनेमा ने उल्लेखनीय हस्तक्षेप किया है। फिल्म पिंक ने सहमति के प्रश्न को केंद्र में रखकर स्पष्ट किया कि किसी महिला का पहनावा, उसका सामाजिक व्यवहार अथवा किसी स्थान पर उसकी उपस्थिति उसकी सहमति का विकल्प नहीं हो सकती। इसी तरह थप्पड़ ने घरेलू हिंसा और वैवाहिक संबंधों में सम्मान के महत्त्व पर प्रश्न उठाए। ऐसी फिल्में उन सामाजिक धारणाओं को चुनौती देती हैं, जिनमें परिवार की प्रतिष्ठा के नाम पर महिलाओं से अन्याय सहने की अपेक्षा की जाती है। हालाँकि किसी फिल्म से सामाजिक परिवर्तन अपने आप नहीं आता, लेकिन वह परिवर्तन के लिए आवश्यक वैचारिक जमीन अवश्य तैयार कर सकती है।

जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के विरुद्ध चेतना जगाने में भी सिनेमा की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। अनुभव सिन्हा की आर्टिकल 15 ने जातिगत भेदभाव, सामाजिक बंचना और संस्थागत असमानताओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इसने दर्शकों को यह समझने का अवसर दिया कि संवैधानिक समानता के बावजूद सामाजिक व्यवहार में भेदभाव की चुनौतियाँ बनी रह सकती हैं। जब फिल्मों में वंचित समुदायों के संघर्ष, आकांक्षाओं और अनुभवों को स्थान मिलता है, तब समाज के उन वर्गों की आवाज भी व्यापक दर्शक समुदाय तक पहुँचती है, जिन्हें प्रायः मुख्यधारा की चर्चाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता।

राष्ट्रीय एकता और सामूहिक पहचान को मजबूत करने में भी सिनेमा प्रभावी माध्यम है। चक दे! इंडिया ने विविध क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आने वाली महिला खिलाड़ियों की टीम के माध्यम से सहयोग, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया। वहीं रंग दे बसंती ने युवाओं को नागरिक जिम्मेदारी, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक भागीदारी जैसे प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। ऐसी कहानियाँ बताती हैं कि राष्ट्रप्रेम केवल नारों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने और सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी निभाने से भी प्रकट होता है। क्षेत्रीय सिनेमा भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण है। कांतारा ने तटीय कर्नाटक की स्थानीय परंपराओं, लोकविश्वासों और प्रकृति से जुड़े सांस्कृतिक संबंधों को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुँचाया। इससे क्षेत्रीय भाषाओं और लोकसंस्कृतियों के प्रति रुचि बढ़ सकती है।

लेकिन सिनेमा का दूसरा पक्ष भी उतना ही गंभीर है। मनोरंजन और व्यावसायिक सफलता की होड़ में कुछ फिल्में सामाजिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देने के बजाय उन्हें दोहराती हैं। जाति, धर्म, क्षेत्र और समुदायों को एकांगी रूप में दिखाने से दर्शकों के मन में गलत धारणाएँ मजबूत हो सकती हैं। किसी पूरे समुदाय को अपराध, हिंसा या पिछड़ेपन से जोड़कर प्रस्तुत करना सामाजिक अविश्वास बढ़ा सकता है।

नई पीढ़ी और सांस्कृतिक अलगाव का संकट

—प्रो. संजय द्विवेदी—

संकटग्रस्त और बिखरती पारिवारिक व्यवस्था, ध्वस्त होते जीवन– मूल्य, अपनी जड़ों से उखड़ती पीढ़ी वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इनके बीच उपनिवेशवादी मानसिकता से प्रभावित शिक्षा व्यवस्था हमें अभी भी जकड़े हुए है। अंग्रेजों के जाने के आठ दशक बाद भी अपनी शिक्षा व्यवस्था को हम उन संकटों से मुक्त नहीं करा पाए हैं, जो हमें हमारी लंबी दासता ने दिये थे। इस शिक्षा व्यवस्था के नाते इंडियाश से भ्यारतश् की ओर हमारा प्रवास संभव नहीं हो पा रहा है। धर्मपाल जी की किताब 'द ब्यूटीफुल ट्री' हमें जिस भारत के दर्शन कराती है, वहां प्रत्येक गांव में एक या अधिक स्कूल थे। ये हर तरह का ज्ञान और कौशल दे रहे थे। अंग्रेजों ने इस समूची भारतीय शिक्षा व्यवस्था का 'कैसे ध्वंस किया? 'क्यों किया' यह जानना अनिवार्य है। महात्मा गांधी के आरंभिक लेखन में इस क्षत–विक्षत हो रहे भारत का दर्द दिखता है। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें श्कमजोर और कम भारतीयश बनाया। साथ ही अपनी जमीन और उसके मूल्यों के प्रति हिकारत और हीनता बोध पैदा किया। यह आत्मदैन्य या 'एहसास–ए–कमतरी' आज भी हमें जकड़े हुए है।

अंग्रेजी शिक्षा ने 'घरश और 'स्कूल' के बीच दूरी बनाई। इस पढ़ाई ने हमें यह सिखाया कि स्कूल कोई ऊंची जगह है और घर ठीक नहीं है। इस हीनता में फंसकर हमने अपनी संस्कारशाला श्परिवारश और उसके द्वारा दिए जा रहे मूल्यों को कमतर मान लिया। बच्चों में नैतिक मूल्य, आदर और सामाजिक जिम्मेदारियां परिवार और समाज द्वारा सिखाई जाती थीं। यह जिम्मेदारी भी पूरी तरह स्कूलों पर डाल दी गई। इससे परिवारों की भूमिका गौण होती चली गई। शिक्षा मुख्य रूप से किताबों और चार दीवारों तक सीमित हो गई। फलतः बच्चे घर के पारंपरिक कामकाज, खेती, दस्तकारी और व्यावहारिक जीवन के अनुभवों से दूर होते गए। ये सभी काम पहले घर के माध्यम से स्वतः सीखते थे। अंग्रेजों की नकल सिर्फ भाषा तक नहीं रही बल्कि वह हमारे जीवन में भी प्रवेश कर गई। खानपान, परिधान, दिनचर्या, कैलेण्डर सब बदल गये। स्कूल जब बदलते हैं तो वह पूरा सांस्कृतिक परिवेश बदलने की क्षमता रखते हैं। यह हमने हिंदुस्तान में होते हुए देखा। इसीलिए उस जमाने में भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था, पढ़ने के बाद वे हमारी नकल करने लगे हैं।

ऐसा देश जहां सब श्स्वधर्मश पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अगर उस समाज में घरों ताले नहीं हैं, चोरियां नहीं होती,लोग झूठ नहीं बोलते, ऊंच–नीच नहीं है तो सोचिए कि वह समाज और उसकी शिक्षा कैसी रही होगी? अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत के बारे में अपने जो अनुभव दर्ज किए हैं। वे हैरान करने वाले हैं। अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था से भारतीय समाज का मानस बदल दिया। नतीजतन समाज बदला, उसके मूल्यों में व्यापक बदलाव हुए। सरकार, पुलिस, कोर्ट–कचहरी, प्रशासन तंत्र का महत्व बना। हमारी स्वायत्तता और समाज केंद्रित व्यवस्थाएं नष्ट हुईं। हम सरकार के सामने याचक की तरह खड़े हो गए। गांव उजड़ने लगे। स्थानीय उद्यम नष्ट हुए। कुटीर उद्योग तबाह हो गए। पारिवारिक कौशल नष्ट हुए। गैर–बराबरी बढ़ती गई। अपनी चीजों से ही नफरत करने वाला समाज विकसित हुआ। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में गहरे विभाजन पैदा किए। अलीट और नान अलीट का बंटवारा, 'भारत' और 'इंडिया' की पृथक पहचान बन गया। हम यह समझ ही नहीं पाए कि पांव छूने, नमस्कार करने और हाथ मिलाने में अंतर क्या है और श्रेष्ठ क्या है?

हर जानकारी ज्ञान नहीं है। इस शिक्षा व्यवस्था ने ज्ञान के नाम पर ढेरों जानकारियां परोस दीं। इनका जीवन संघर्षों में कोई उपयोग नहीं। हम 'मानने' को श्ज्ञानना समझने लगे हैं। 'क्यों' का विचार मन में आता ही नहीं। अपनी जिस शिक्षा व्यवस्था से हमने 1750 में दुनिया का 33 प्रतिशत उत्पादन और व्यापार सुनिश्चित किया था। अंग्रेजी राज और उसकी शिक्षा ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अपनी स्वायत्तता से अग्रणी समाज कैसे सरकारी प्रशासनिक तंत्र से चौपट हो जाता, भारत इसकी ही कहानी है। नई अंग्रेजी शिक्षा मुक्त नहीं करती थी।

अंतरराज्यीय टप्पेबाजी गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने दबोचा

संवाददाता–महराजगंज। निचलौल पुलिस, एसओजी, स्वाट एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम को शुक्रवार को बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान संयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर टप्पेबाजी की घटना में शामिल अंतरराज्यीय टप्पेबाजी गिरोह के तीन सदस्यों को दबोच लिया है। ये तीनों क्षेत्र के टिकुलहिया पुल के पास से पकड़े गए हैं। पकड़े गए गिरोह के कब्जे से 25 हजार 200 रुपए नगद, पंजाब नेशनल बैंक के तीन ब्लैंक चेक, एक भरा हुआ चेक, एक मोबाइल फोन तथा फर्जी नंबर प्लेट लगी एक पल्सर बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपित बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जनपद के निवासी हैं। बीते 14 अक्टूबर को दशरथ सिंह निवासी ग्राम पतौना थाना निचलौल भारतीय स्टेट बैंक घोड़हवा–निचलौल शाखा से अपने निजी कार्य के लिए बैंक खाते से एक लाख रुपये निकालकर घर जा रहा था। इस बीच निचलौल कस्बा के कटरा चौराहे के पास कुछ लोगों द्वारा उसे आवास की रकम दिलाने का विश्वास दिलाकर छलपूर्वक एक लाख रुपये ले लिया तथा बदले में दो लाख रुपये का कूटरचित चेक दे दिया गया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था। एसपी शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस की संयुक्त टीम ने इस मामले का खुलासा किया। एसओ योगेन्द्र राय ने बताया कि विवेचना एवं गिरोह के सदस्यों की तलाश के दौरान सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपितों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। जांच में अभियुक्तों द्वारा पूर्व में थाना घुघली क्षेत्र में भी इसी प्रकार की घटना किया जाना प्रकाश में आया है।

संयुक्त टीम ने कृष्णा श्रीवास्तव निवासी सुखवन, वार्ड संख्या 16, थाना पटखौली, संजय पटेल निवासी जुड़ापड़ी, वार्ड संख्या 13, थाना भैरूगंज और मंगल यादव निवासी नारायणपुर, वार्ड संख्या 4, थाना पटखौली बगहा–पश्चिमी चंपारण बिहार प्रांत को पकड़ा है। पुलिस ने पकड़े गए गिरोह के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 289ए 2026, धारा 319(2), 338, 336(3), 340(2), 317(2), 3(5), 318(4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इन तीनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है। एसओ योगेंद्र कुमार राय ने बताया कि पकड़े गए तीन सदस्यों में से कृष्णा श्रीवास्तव और मंगल यादव के खिलाफ पूर्व में घुघली थाना में भी गंभीर अपराध से संबंधित मुकदमा दर्ज है।

अंतरराज्यीय टप्पेबाजी गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करने वाली टीम में एसओ निचलौल योगेन्द्र राय, स्वाट प्रभारी एसआई आशीष सिंह, एसओजी प्रभारी एसआई योगेश सिंह, एसआई संजय कुमार यादव, अमित विश्वकर्मा, हेड कांस्टेबल रजनीश सिंह, कांस्टेबल सत्येन्द्र सिंह, अनुपम सिंह और सुधीर यादव आदि शामिल रहे।

प्रेम प्रसंग में कक्षा 11 की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान

संवाददाता–महराजगंज। सोनौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार को 16 वर्षीय किशोरी ने अपने कमरे में छत की कुंडी से रस्सी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका के पास से प्रेम प्रसंग का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर एक युवक पर शादी का झांसा देकर प्रेमजाल में फंसाने व आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक सोनौली कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी कक्षा 11 की छात्रा थी। बताया जा रहा है कि उसका प्रेम संबंध रिश्तेदारी में आने वाले एक युवक से हो गया था। वह नौतनवा में एक पैथोलॉजी चलाता है। आरोप है कि वह किशोरी को पैथोलॉजी सिखाने के बहाने अपने साथ लाता–ले जाता था। कुछ दिन पहले जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने उसे आने–जाने से मना कर दिया और मोबाइल का सिम तोड़कर फेंक दिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को छात्रा ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया। परिजन आनन–फानन में एम्बुलेंस से उसे रतनपुर सीएचसी ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही सोनौली कोतवाल विशाल कुमार शुक्ला पुलिस बल के साथ सीएचसी पहुंचे। सुसाइड नोट की जांच की। पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी है।

फांसी का फंदा लगाने से पहले छात्रा ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है। इसमें उसने लिखा है कि वह अजय नाम के युवक से बहुत प्यार करती है। नोट में लिखा है कि वह दो बच्चों का पिता है, लेकिन उससे बहुत प्यार करता है। उसने अपने माता–पिता, भाई व दोनों बहनों से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए लिखा है कि वह न तो अपने परिवार को छोड़ सकती है और न ही उस युवक को, इसलिए वह अपनी जीवनलीला समाप्त कर रही है। छात्रा तीन बहनों में दूसरे नंबर की थी। उसकी अचानक हुई मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। सोनौली कोतवाल विशाल कुमार शुक्ला ने बताया कि परिजनों की तरफ से तहरीर मिल गई है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अस्पताल में 24 घंटे मिलेगी एक्सरे जांच की सुविधा

संवाददाता–गोण्डा। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध बाबू ईश्वर शरण अस्पताल में अब मरीजों को 24 घंटे एक्सरे जांच की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इमरजेंसी में एक्सरे टेक्नीशियन के मौजूद नंबर पर उन्हें फोन कर बुलाया जाएगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने के निर्देश शुक्रवार को प्रधानाचार्य डा संतोष कुमार वर्मा ने दिए हैं। प्रधानाचार्य ने शुक्रवार को सेंट्रल पैथोलॉजी लैब, एक्स–रे कक्ष, सीटी स्कैन कक्ष एवं अल्ट्रासाउंड कक्ष का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य ने सभी प्रकार की रक्त संबंधी जांचों एवं हिस्टोपैथोलॉजी जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एक्स–रे विभाग के प्रभारी को एक्स–रे जांच की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध कराने तथा आपातकालीन कक्ष में सभी एक्स–रे टेक्नीशियनों के संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कराने के निर्देश दिए। अल्ट्रासाउंड जांच की व्यवस्था के संबंध में सीएमएस को निर्देशित किया कि दोनों रेडियोलॉजिस्ट निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियमित रूप से अल्ट्रासाउंड जांच सुनिश्चित करें, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त सीएमएस व एमएस को रक्त संबंधी जांचों की रिपोर्ट निर्धारित समय पर तत्काल मरीजों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए । प्रधानाचार्य ने कहा कि चिकित्सालय में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं समयबद्ध जांच सुविधाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस दौरान सीएमएस डॉ. अनिल तिवारी व एमएस डॉ. आफताब आलम मौजूद रहे।

वसूली का आरोप लगा एआरटीओ कार्यालय पर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन

संवाददाता–महराजगंज। जिले में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण की प्रक्रिया में कथित अनियमितता व अवैध वसूली का आरोप लगने लगा है। एआरटीओ कार्यालय और ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (डीटीआई) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने एआरटीओ कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बाद में डीएम को शिकायत पत्र देकर जांच कराकर कार्रवाई की मांग की। आरोप लगाया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट और फाइलों के नाम पर तथाकथित बिचौलियों के माध्यम से वसूली की जा रही है। विरोध कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि पहले ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित टेस्ट महराजगंज के एआरटीओ कार्यालय में कराए जाते थे। लेकिन एक जुलाई 2026 से लाइसेंस नवीनीकरण, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट की व्यवस्था डीटीआई को सौंपे जाने की बात कही गई है। आरोप है कि डीटीआई में फाइल और टेस्ट फीस जमा कराने के बाद भी टेस्ट पास करने की प्रक्रिया आरआई की लॉगिन से हो रही है तो डीटीआई की भूमिका क्या है?यह भी आरोप लगाया गया है कि डीटीआई की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित विभिन्न सेवाओं और टेस्ट के लिए निर्धारित शुल्कों की स्पष्ट सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इससे आवेदकों को वास्तविक शुल्क की जानकारी नहीं हो पा रही है। आरोप है कि इसी अस्पष्टता का फायदा उठाकर कुछ बिचौलिए अलग–अलग फाइलों के लिए मनचाही रकम मांग रहे हैं। शुल्क की पारदर्शी व्यवस्था नहीं होने से लाइसेंस बनवाने वाले लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि टेस्ट प्रक्रिया और आरआई की लॉगिन के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मांग की है कि यह स्पष्ट किया जाए कि टेस्ट लेने, उसका परिणाम दर्ज करने और अभ्यर्थी को पास घोषित करने का अधिकार किसके पास है? साथ ही डीटीआई में जमा कराई जा रही फीस और निर्धारित सरकारी शुल्क का मिलान कराया जाए। इस दौरान एडवोकेट अकबर अली, संतोष गुप्ता, दुर्गेश श्रीवास्तव, जुगुल किशोर पटेल, अमित यादव, आशीष गुप्ता, नरसिंह यादव, धनंजय गुप्ता आदि मौजूद रहे।

रास्ते के विवाद में महिला–बेटी और बेटे को पीटा, लाठी–डंडे और ईंट–पत्थर चले

संवाददाता–गोण्डा। जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे लदई गांव में रास्ते से जाने और पुआल,भैंस ले जाने के विवाद को लेकर दबंगों द्वारा एक महिला,उसकी बेटी और बेटे को लाठी–डंडों से बेरहमी से पीटे जाने का मामला सामने आया है। मारपीट की पूरी घटना कल 29 अक्टूबर देर शाम 4:00 बजे की करीब की बताई जा रही है। जिसका वीडियो आज शुक्रवार दोपहर 3:00 बजे के करीब सामने आया है। वायरल वीडियो में लाठी डंडे से एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए ईंट– पत्थर फेंकते हुए भी नजर आए हैं। मारपीट में तीन लोगों को गंभीर चोटें आई है वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद धानेपुर थाने की पुलिस ने पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लेते हुए दोनों गुटों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है।

पीड़िता ने आज शुक्रवार दोपहर 3 बजे धानेपुर थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पूरे लदई निवासिनी कृष्णा देवी पत्नी रामदीन के अनुसार, वह अपनी भैंस लेकर रास्ते से जा रही थीं। रास्ते में विपक्षियों के दरवाजे के पास पुआल रखा हुआ था, जिससे होकर निकलने पर विपक्षी गाली–गलौज करने लगे और विरोध करने पर मारपीट पर आमादा हो गए।

शोर सुनकर जब कृष्णा देवी की पुत्री अनीशा और पुत्र साजन अपनी मां को बचाने पहुंचे, तो दबंगों ने उन पर भी लाठी–डंडों से हमला बोल दिया। जमकर ईंट–पत्थर भी फेंका है हमले में कृष्णा देवी के पैर और उनके बेटे साजन के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता ने गांव के ही तिनकेनी पुत्र सुखई,भोलेनाथ पुत्र तिनकेनी,फूलचन्द पुत्र बद्री, गुड्डू सोनकर पुत्र ननका सोनकर और रेखा सोनकर पत्नी भोलेनाथ पर मारपीट करने व पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि विपक्षी आए दिन उनके परिवार को तंग व परेशान करते रहते हैं।

सिंचाई कर्मियों ने भरी आंदोलन की हुंकार, धरना देकर बुलंद की आवाज

संवाददाता–महराजगंज। सिंचाई विभाग के सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक, नलकूप चालकों व अन्य कर्मचारियों ने अपनी वर्षों से लंबित समस्याओं, पुरानी पेंशन और विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर आवाज बुलंद की। कलक्ट्रेट भवन के सामने सिंचाई संघ के बैनर तले धरना देकर मुख्यमंत्री को संबोधित 12 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन को दिया। समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। कहा कि मांग पूरा नहीं होने पर व्यापक आंदोलन करेंगे। कर्मचारियों ने सींचपाल, नलकूप चालक व सींच पर्यवेक्षक की लगभग 70 वर्ष पुरानी सेवा नियमावली में संशोधन कर जल्द लागू कराने, प्रदेश में नलकूप चालकों के रिक्त 12700 पदों पर भर्ती और लगभग 27 हजार नए पदों का सृजन कराने समेत कई मांग की है।

इसके साथ ही नलकूप चालकों की वेतन विसंगति दूर करने और पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को 2400 रुपये ग्रेड वेतन देने, सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक व नलकूप चालकों को मोटरसाइकिल भत्ता दिए जाने,सेवा काल को देखते हुए पदोन्नति किए जाने, अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किए जाने, ई आफिस प्रणाली से मुक्त रखने, वेतन उच्चीकरण का लाभ दिए जाने, सींच पर्यवेक्षकों को जिलेदार पद पर पदोन्नति किए जाने समेत अनेक की मांग की गई है। संघ कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा।इस दौरान अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने कहा कि विभागीय कर्मचारियों की अनेक समस्याएं पिछले कई दशकों से शासन और विभाग में लंबित हैं। इनके समाधान के लिए लगातार द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से मांग की जाती रही, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है और उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है। कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश में 46 हजार से अधिक राजकीय नलकूप स्थापित हैं और इनके संचालन की जिम्मेदारी केवल छह हजार नलकूप चालकों पर है। कई चालकों से 10 से 20 नलकूपों का संचालन कराया जा रहा है। वहीं सींचपाल के 6381 स्वीकृत पदों के सापेक्ष केवल लगभग 1800 कर्मचारी कार्यरत हैं। इससे कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इस दौरान मंत्री शिवशंकर राय, घनश्याम प्रसाद, रामचंद्र गुप्त, रामबचन, बसंत लाल, रत्नाकर, अर्जुन प्रसाद, रामनयन, सतीश सिंह, सुरेन्द्र, सुदामा, प्रदीप सिंह, इंद्रजीत आदि मौजूद रहे।

बेसहारा लोगों के पुनर्वास के लिए बनी रेस्क्यू टास्क फोर्स

संवाददाता–देवरिया। सड़कों और फुटपाथों पर रहने वाले बेसहारा लोगों के पुनर्वास के लिए जिला स्तरीय रेस्क्यू टास्क फोर्स गठित की गई है। टीम बेघर, मानसिक रूप से बीमार, दिव्यांग और असहाय लोगों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और पुनर्वास की व्यवस्था की जाय। डीएम ने बताया कि यह पहल उच्च न्यायालय के 13 अप्रैल 2026 के आदेश के अनुपालन में की गई है। समिति के अधिकारी न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार ऐसे लोगों की पहचान कर उनके हित में जरूरी कदम उठाएंगे। शहर के प्रमुख चौराहों, धार्मिक स्थलों, अस्पतालों, रेलवे परिसर, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रहने वाले निराश्रित लोगों को चिह्नित किया जाएगा।

समिति के सभी सदस्यों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। किसी बेसहारा व्यक्ति की जानकारी मिलने पर उसका पूरा ब्योरा ग्रुप में साझा किया जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय से रेस्क्यू और पुनर्वास की कार्रवाई करेंगे। समिति में सभी उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शामिल होंगे। सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों को भी समिति में शामिल किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने अधिकारियों को निराश्रित लोगों की पहचान का काम शुरू करने और प्रत्येक मंगलवार को पुनर्वास की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों में महिलाएं, पुरुष, बच्चे और थर्ड जेंडर के व्यक्ति भी हो सकते हैं।

आम नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर किसी निराश्रित व्यक्ति को देखते ही तो कल्याण साथी हेल्पलाइन 14568, महिला हेल्पलाइन 181 या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दे सकते हैं।

नौकरी का झांसा देकर युवती को बनाया बंधक, यौन शोषण और मारपीट का आरोप

संवाददाता–देवरिया। कोतवाली थाना क्षेत्र की एक युवती को नौकरी दिलाने के बहाने अपने संपर्क में लाने, कमरे में बंधक बनाकर रखने और यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक युवती के साथ मारपीट भी करता था। परिजन उसे छुड़ाकर घर ले आए तो युवक ने साथियों के साथ पहुंचकर दोबारा जबरन ले जाने की कोशिश की। घटनाएं 25 और 27 अक्टूबर की हैं। युवती की मां की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के मुताबिक, अप्रैल 2026 में युवती नाबालिग थी। इसी दौरान युवक ने उसे देवरिया के एक होटल में नौकरी दिलाई थी। इसके बाद वह उसे परेशान करने लगा। आरोप है कि युवक युवती को कमरे में बंद रखता था और उसका यौन शोषण करता था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करता था। उसने युवती के दस्तावेज, मोबाइल और अन्य सामान भी अपने पास रख लिए थे। 25 अक्टूबर की शाम युवती ने परिजनों को फोन कर मदद मांगी। परिजन उसे लेने पहुंचे तो युवक ने गालीगलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की। स्थानीय लोगों की मदद से परिजन युवती को किसी तरह छुड़ाकर घर ले आए। इसके बाद युवती ने अपने साथ हुई घटनाओं की जानकारी दी। बिजनेस डायरी आरोप है कि 27 अक्टूबर की रात युवक तीन–चार साथियों के साथ युवती के घर पहुंचा और उसे जबरन ले जाने का प्रयास किया। परिजनों ने पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 पर सूचना दी। पुलिस को सूचना देने पर युवक साथियों के साथ बाइक से भाग निकला।

दिल्ली रवाना हुआ कांग्रेसियों का जत्था, 1 नवंबर को रामलीला मैदान की महारैली में होंगे शामिल

संवाददाता–देवरिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली में शामिल होने के लिए देवरिया से कांग्रेसियों का जत्था शुक्रवार शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दिल्ली रवाना होने से पहले जिलाध्यक्ष विजय शेखर मल्ल 'रोशन' ने कहा कि रामलीला मैदान की महारैली महज एक राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में वोट की चोरी कर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जिसके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। देवरिया का हर कार्यकर्ता इस मुहिम में उनके साथ मुस्तैदी से खड़ा है।

जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिले के सभी 16 ब्लॉकों, नगर पंचायतों, शहर और न्याय पंचायतों से कार्यकर्ता स्वेच्छा से इस महारैली का हिस्सा बनने दिल्ली जा रहे हैं। जत्थे में जिला उपाध्यक्ष अरविंद शाही, भरत मणि त्रिपाठी, जुलेखा खातून, रामाशीष साहनी, अब्दुल जब्बार, महासचिव रत्नेश मल्ल पिंटू, मधु देवी, शहर अध्यक्ष मिर्जा खुर्शीद अहमद बेग समेत कई प्रमुख पदाधिकारी शामिल रहे।

मुख्य संगठन के अलावा ब्लॉक व नगर अध्यक्षों के साथ–साथ युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए रवाना हुए। जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि दिल्ली से लौटने के बाद महारैली के संदेश को जिले के एक–एक गांव और बूथ तक पहुंचाया जाएगा और संगठन को बूथ स्तर पर और अधिक मजबूत किया जाएगा।

कोआपरेटिव बैंक घोटाला के दो आरोपियों की 21 लाख की संपत्ति कुर्क

संवाददाता–गोण्डा। उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने दो आरोपियों की अपराध से अर्जित 21 लाख से अधिक की सम्पत्ति कुर्क की है। इससे पहले भी पुलिस कई आरोपियों की सम्पत्ति कुर्क कर चुकी है और कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है। दो आरोपियों की 21 लाख से अधिक की सम्पत्ति कुर्क रू शुक्रवार को प्रशासन ने आरोपी शिवाकान्त वर्मा पुत्र राजितराम व गीता देवी पत्नी शिवाकान्त वर्मा की अपराध से अर्जित करीब 21,72,000, की कुर्की की कार्यवाही की है। बताया जाता है कि इस मामले में अपराध के माध्यम से अर्जित सम्पत्ति के सम्बन्ध में न्यायालय अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां से आदेश पारित किया गया था ।

उस आदेश के अनुपालन में डीएम ने सम्बन्धित की सम्पत्ति की कुर्की जब्तीकरण की कार्यवाही के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया। डीएम के आदेश पर एसडीएम सदर व उनकी टीम (लेखपालध्कानूनगो) और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर विन्देश्वरी मणि त्रिपाठी ने शिवाकान्त वर्मा की रानीजोत में स्थित भूमि क्षेत्रफल 0.0610 हेक्टेयर अनुमानित मालियत 15,00,000 व गीता देवी के नाम इमलिया गुरूदयाल गांव में भूमि क्षेत्रफल 0.3400 हेक्टेयर अनुमानित मालियत 6.72 रुपये के कुर्क करने की कार्यवाही की गई। दोनों सम्पत्तियों की मालियत 21 लाख 72 हजार रुपये आंकी गई है।यह है मामलारू कोआपरेटिव बैंक की गोण्डा शाखा में ऋण वितरण में जमकर खेल खेला गया था। मामला पकड़ में आने के बाद बैंक के सहायक महाप्रबंधक भुवन चंद्र सती की तहरीर पर कोतवाली नगर में 16 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया गया था। मामले में आरोप था कि बैंक की गोंडा शाखा ने ऋण वितरण में भारी अनियमितता बरती गई। फर्जी व कूटरचित अभिलेखों का प्रयोग कर बैंक के आंतरिक खातों से अनाधिकृत धनराशि आहरित की गई तथा विभिन्न खाताधारकों के खातों से धनराशि का दुर्विनियोग किया गया। स्पेशल ऑडिट की अंतरिम रिपोर्ट में 2147.78 लाख रुपये के अनियमित अंतरण का मामला प्रकाश में आया था। नामजद आरोपियों में पुलिस ने कइयों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। जिसमें बैंक के कर्मचारी व कई उपभोक्ता भी शामिल हैं।

तेज हवाओं के साथ बारिशः धान और गन्ने की फसल गिरने का खतरा

संवाददाता–बलरामपुर। बंगाल की खाड़ी से उठे अर्बन तूफान का असर रेहरा बाजार क्षेत्र में भी दिखाई देने लगा है। शुक्रवार को जैसे–जैसे शाम ढलती गई, वैसे–वैसे मौसम का मिजाज बदलता नजर आया। क्षेत्र में इस समय धान की फसल पूरी तरह पककर खेतों में तैयार खड़ी है। ऐसे में तेज हवाओं और लगातार बारिश से फसल के गिरने तथा खेतों में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि यदि मौसम का यही रुख बना रहा तो खेतों में खड़ी धान की फसल जमीन पर गिर सकती है। इससे धान की बालियां गीली होकर सड़ने लगेंगी और दानों की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ पैदावार में भी भारी गिरावट आ सकती है।

वहीं गन्ने की फसल को लेकर भी किसान चिंतित हैं। तेज हवाओं से गन्ने के गिरने की आशंका है। किसानों के मुताबिक जमीन पर गिरे गन्ने को जंगली जानवरों से नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। इसके अलावा नमी के कारण फसल में फंगस और सड़न की समस्या भी पैदा हो सकती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान राजू, मुस्ताक, रिजवान, आशीष, रामप्रीत आदि का कहना है कि बड़ी मेहनत और लागत लगाकर फसल तैयार की गई है। कटाई का समय नजदीक होने पर मौसम की मार पड़ने से उनकी सालभर की मेहनत पर पानी फिरने की आशंका है। किसानों ने मौसम साफ रहने की उम्मीद जताते हुए प्रशासन से फसल नुकसान का आकलन कराने और जरूरत पड़ने पर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है।

क्षेत्रीय कार्यालय उपनिदेशक (निर्माण)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0

नवीन मण्डी स्थल–बस्ती

पत्रांकः नि0व0/(निविदा पत्रावली)/2026–528 दिनांक 30.10.2026

:–अल्पकालीन ई–निविदा सूचना :–

निम्नलिखित समपर्क मार्गो के मरम्मत कार्य हेतु ई–निविदायें दिनांक 17.11.2026 को मण्डी परिषद एवं P.W.D, R.E.D,U.P.R.N.N. तथा UPPCL विभाग में पंजीकृत वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं अनुभवी ठेकेदारों से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। आमंत्रित ई–निविदाओं की टेक्निकल विड दिनांक 17.11.2026 को अपरान्ह 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जायेगी। टेण्डर डोक्यूमेन्ट www.etender.up.nic.in पर दिनांक 17.11.2026 की अपरान्ह 12.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना, नियम व शर्ते एवं अन्य विवरण कार्यालय में तथा उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर देखी, पढ़ी व डाउनलोड की जा सकती है।

क्र0 सं0	मण्डी समिति का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत 05 वर्ष अनुरक्षण लागत सहित (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य जी0एस0टी0 सहित (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि माह में	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
		जनपद सिद्धार्थनगर के क्षेत्रान्तर्गत					
118	सहियापुर	बस्ती डुमरियागंज मार्ग से पोखरभिटवा 2026_RKUMP_1202904_1	27.27	2.75	4900	3 माह	द
119	सहियापुर	तेतरी ग्राम के पूर्व से डिवलीडिहवा मार्ग तक 2026_RKUMP_1202907_1	42.04	4.15	7500	4 माह	स
120	सहियापुर	भडरिया बढ़नीचाफा मार्ग पर स्थित पण्डित सेखुइया होते हुए सेखुई ताज सेहरी भवानीगंज मार्ग तक 2026_RKUMP_1202915_1	42.96	4.15	7600	4 माह	स
121	सहियापुर	ग्राम बढ़नीचाफा के टोला सिंगियहवा मोड से टोला कटेहरी बाग तक 2026_RKUMP_1202920_1	42.05	4.15	7500	4 माह	स
122	नौगढ़	पकड़ी महुरइया मार्ग पर सुकरौली चौराहे से मरवटिया माफी तक 2026_RKUMP_1202924_1	41.53	4.10	7400	4 माह	स
123	शोहरत गढ़	सिद्धार्थनगर शोहरतगढ़ मार्ग से कौआ गांव 2026_RKUMP_1202927_1	30.34	3.05	5400	3 माह	द
		जनपद बस्ती के क्षेत्रान्तर्गत					
124	बस्ती	केशवा चौराहे से पौखरभीटी 2026_RKUMP_1202941_1	36.84	3.70	6600	3 माह	द
125	बस्ती	दौलत पिच रोड से भरसाय होते हुए भेलखा तक 2026_RKUMP_1202948_1	40.45	4.05	7200	4 माह	स
126	बस्ती	प्रधानमंत्री सड़क से छोटा अझलिया (अझला) तक 2026_RKUMP_1202952_1	29.07	2.91	5200	3 माह	द
127	बस्ती	जिनवा मार्ग से लोहरसनपुरवा रघुनाथा मझौआ खजुरी तक 2026_RKUMP_1202957_1	60.26	5.05	10700	4 माह	स
128	बस्ती	सोनूपार देवरिया मार्ग से छितौनी मेड़ामझारी 2026_RKUMP_1202960_1	50.29	4.55	8900	4 माह	स
129	बस्ती	परसरामपुर से पड़री बाबू (गांधी ग्राम) 2026_RKUMP_1202964_1	88.23	6.45	15700	3 माह	द
130	बस्ती	बभनान महुआ डाबर मार्ग से सरनागी 2026_RKUMP_1202972_1	33.21	3.35	5900	3 माह	द
131	बस्ती	एकटेकवा चौराहे बेलघाट मार्ग से एकटेकवा 2026_RKUMP_1202977_1	34.34	3.45	6100	3 माह	द
132	बस्ती	भानपुर रूधौली बरगदवा मार्ग से करायन 2026_RKUMP_1202985_1	55.55	4.80	9900	4 माह	स
133	बस्ती	सल्टौआ मानिक चन्द्र मार्ग से ककरहवा 2026_RKUMP_1202989_1	24.71	2.50	4400	3 माह	द
134	बस्ती	गौरा बालूजोत मार्ग से सुनौरा तक 2026_RKUMP_1203004_1	79.87	6.00	14200	4 माह	ब

नोटः–

1– धरोहर धनराशि का मूल्य उपनिदेशक (निर्माण) के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा साऊघाट बस्ती के **खाता संख्या 30394488595** आई0एफ0एस0 कोड संख्या **SBIN0011200** एवं निविदा का मूल्य **खाता संख्या 30394488415** आई0एफ0एस0 कोड संख्या **SBIN0011200** उप निदेशक (निर्माण) के नाम अलग–अलग आर0टी0जी0एस0 करना होगा, जिसका बैंक से सत्यापित यू0टी0आर0 नम्बर हार्ड कापी में उपलब्ध कराना होगा, एवं अपलोड भी करना अनिवार्य होगा।
मण्डी परिषद मुख्यालय के पत्रांकः मु0अभि0–2/(1168/भाग–4/2005)/2022–1190 दिनांकः 17.11.2022 द्वारा जारी आदेश / निर्देश के क्रम में 'द' श्रेणी को छोडकर 'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी में पंजीकृत निविदाओं की पारदर्शिता एवं अधिक प्रतिस्तर्धात्मक दरें प्राप्त करने के उददेश्य से पंजीकृत ठेकेदारों से Bid Capacity हेतु लोक निर्माण विभाग के standard Bidding Document (S.B.D) में Qualification of Bidders के section 4.6 में व्यवस्था दी गयी है जिसका विस्तृत विवरण मुख्य नियम शर्ते के बिन्दु संख्या 11 में अंकित है। Bid capacity की गणना प्रपत्र व सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वॉछित टर्न ओवर एवं बैलेन्स शीट Bidding Document के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

2– उक्त निविदा तालिका में अंकित पंजीकरण श्रेणी के अतिरिक्त उच्च श्रेणी के मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मे भी प्रतिभाग कर सकती है।

3– श्रेणी 'ब' के कार्यो में PWD, R.E.D, U.P.R.N.N तथा UPPCL विभाग में ''अ'' एवं ''ब'' श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार प्रकिया में प्रतिभाग कर सकते है।

उप निदेशक (निर्माण)

बारिश और हवा से धान की फसल गिरी

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। सुबह हुई हल्की बारिश और हवा से खेतों में खड़ी धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। कई जगह पौधे जमीन पर गिर गए। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, जिले में करीब 10 प्रतिशत फसल खेतों में बिछ गई है। कटाई के समय मौसम बदलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस समय जिले में धान की फसल तैयार हो रही है। कई खेतों में बालियां निकल चुकी हैं और दानों में भराव हो रहा है। ऐसे समय में फसल जमीन पर गिरने से बालियां मिट्टी और पानी के संपर्क में आ सकती हैं। इससे दानों की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। खेतों में ज्यादा नमी होने से धान की कटाई और फसल सुखाने में भी परेशानी हो सकती है। किसानों का कहना है कि धान की फसल तैयार करने में काफी मेहनत और लागत लगी है। ऐसे में कटाई के समय मौसम बदलने से उनकी चिंता बढ़ गई है। शुक्रवार सुबह बारिश और हवा का असर ग्रामीण इलाकों में दिखाई दिया। जिला प्रशासन ने भी 30 अक्टूबर को बारिश और हवा की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया था। बारिश और हवा के कारण तापमान में गिरावट आई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। फसल गिरने के बाद किसानों की निगाहें अब मौसम पर टिकी हैं। उन्हें आशंका है कि यदि बारिश और तेज हवा का सिलसिला आगे बढ़ा तो खेतों में बची खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है।

भारत आएंगे नेपाल के पीएम

संवाददाता–गोरखपुर। नेपाल के जनकपुरधाम से भारत के प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थल अयोध्या तक विशेष रेल सेवा शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के प्रस्तावित भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से इस रेल सेवा का उद्घाटन कर सकते हैं। इसके लिए नेपाल और भारत के रेल विभाग, सीमा शुल्क तथा सुरक्षा अधिकारियों के बीच विभिन्न स्तरों पर बातचीत चल रही है। नेपाल रेलवे कंपनी के प्रबंध निदेशक परिवेश पराजुली ने बताया कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान विशेष रेल सेवा का उद्घाटन कराने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, अभी उद्घाटन की आधिकारिक तिथि निर्धारित नहीं हुई है। प्रधानमंत्री शाह का 22 नवंबर से भारत दौरा प्रस्तावित है। पराजुली के अनुसार, रामायण सर्किट के तहत जनकपुरधाम से अयोध्या तक विशेष रेल सेवा संचालित करने के लिए आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। इस संबंध में नेपाल और भारत के रेलवे अधिकारियों के साथ सीमा शुल्क, सुरक्षा और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठकें भी हो रही हैं। रेल सेवा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्रर्ह समायत अपील
अदालत–श्रीमान अति0 उप जिलाधिकारी महोदय बस्ती जिला–बस्ती
अपील सं0–D202614140001550
गिरजा देवी
बनाम
रामकुमार
1. रामकुमार पुत्र स्व0 रामचन्दर साकिन मौजा हड़िया तप्पा कड़र परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 05–11–2026
अपील बनराजी अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट
इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 05 महीना 11 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजवीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।
आज बतारीख 24 माह 10 सन 2026 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।
द0 हाकिम

ब्राउन शुगर तस्करी के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाईं आठ गोलियां, दो भारतीय घायल, तीन गिरफ्तार

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। नेपाल के मोरंग जिले में मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने आठ राउंड गोलियां चलाईं। इस दौरान गोली लगने से दो भारतीय नागरिक घायल हो गए। पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब 500 ग्राम ब्राउन शुगर, एक पिस्तौल, कारतूस और दो मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। मोरंग पुलिस के प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी डीएसपी मकेन्द्र कुमार मिश्र के अनुसार, गोली लगने से भारत के बिहार स्थित अररिया जिले के कुशाहा निवासी 22 वर्षीय दीपक कुमार बोसाक और कुटुमगंज निवासी 40 वर्षीय पुरन बोसाक घायल हुए हैं। दोनों के घुटने के नीचे गोली

लगी है। उन्हें उपचार के लिए विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएसपी मिश्र के मुताबिक, मादक पदार्थों की तस्करी की विशेष सूचना पर मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की पुलिस टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी। रात करीब 9:30 बजे रतुवामाई नगरपालिका–6 शनिश्चरे में भारतीय नंबर प्लेट की बीआर 37 वी 3926 मोटरसाइकिल और बिना नंबर की दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर आरोपियों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आठ राउंड फायरिंग की।

पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान चाइनीज पिस्तौल से पांच और ब्रेडा पिस्तौल से तीन राउंड गोलियां चलाई गईं। मौके से एक देसी पिस्तौल और उसमें इस्तेमाल होने वाला एक राउंड कारतूस भी बरामद किया गया है। इसके अलावा करीब 500 ग्राम ब्राउन शुगर और दोनों मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं।

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त थे। मामले की आगे जांच की जा रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्रर्ह समायत अपील
अदालत–श्रीमान प्रथम अपर जिला जज महोदय बस्ती जिला–बस्ती
सिविल निगरानी संः–20/2023
राणा प्रताप सिंह
बनाम
स्वामी श्रद्धानन्द माण्टेसरी स्कूल नगर खास आदि
1. स्वामी श्रद्धानन्द माण्टेसरी स्कूल नगर खास जरिये प्रबन्धक जगदीश प्रसाद गुप्ता साकिन मौजा–नगर खास, तप्पा–हवेली, परगना नगर पूरब, तहसील व जिला–बस्ती 2. राजेश कुमार सिंह उम्र लगभग 60 वर्ष पुत्र राम कुमार सिंह निवासी मौजा बभिनयावाँ, तप्पा–पिलाई, परगना नगर पूरब, तहसील व जिला–बस्ती प्रधानाचार्य स्वामी श्रद्धानन्द माण्टेसरी स्कूल नगर खास –रेस्पान्डेन्टियान प्रथम वर्ग
3. हजारी लाल उम्र लगभग 70 वर्ष पुत्र राम दीहल (मृतक) 4. राम चन्द्रर उम्र लगभग 62 वर्ष 5. विन्देश्वरी उम्र लगभग 52 वर्ष, 6. दीन दयाल उम्र लगभग 47 वर्ष पुत्रगण हजारी लाल साकिनान मौजा नगरखास, तप्पा–हवेली, परगना नगर पूरब, तहसील व जिला–बस्ती 7. अजीमुल्लाह उम्र लगभग 70 वर्ष पुत्र शमशेर शाह (मृतक) 8. यासीन उम्र लगभग 57 वर्ष पुत्र अजीमुल्लाह 9. हमीद उम्र लगभग 57 वर्ष 10. हनीफ उम्र लगभग 55 वर्ष पुत्रगण करीमुल्लाह साकिनान मौजा टेमा, तप्पा हवेली, परगना नगर पूरब तहसील व जिला–बस्ती 11. किशन लाल उम्र लगभग 57 वर्ष 12. राम जी उम्र लगभग 52 वर्ष पुत्रगण हरिलाल 13. बाबू लाल उम्र लगभग 62 वर्ष पुत्र फागू (मृतक) 13/1–सन्तोष कुमार उम्र लगभग 30 वर्ष 13/2–संजय कुमार उम्र लगभग 25 वर्ष 13/3–सोनू उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्रगण बाबूलाल 13/4 श्रीमती सावित्री देवी (मृतक) वेवा बाबूलाल साकिनान मौजा–नगर खास, तप्पा–हवेली, परगना नगर पूरब, तहसील व जिला बस्ती 14–सेतू लाल (मृतक) 14/1–श्रीमती चन्द्रावती उम्र लगभग 55 वर्ष वेवा सेतू लाल 14/2–दुर्गेश कुमार उम्र लगभग 35 वर्ष 14/3–पवन कुमार उम्र लगभग 30 वर्ष 14/4–प्रदीप कुमार उम्र लगभग 27 वर्ष 14/5–गोपाल उम्र लगभग 21 वर्ष 14/6–किशन उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्रगण सेतू लाल साकिनान मौजा–नगर खास, तप्पा–हवेली, परगना नगर पूरब, तहसील व जिला बस्ती 15–नन्द लाल (मृतक) 15/1–सोनमती (मृतक) उम्र लगभग 55 वर्ष वेवा नन्द लाल 15/2–भरतराम उम्र लगभग 35 वर्ष 15/3–शुक्रून उम्र लगभग 28 वर्ष 15/4– अंगद उम्र लगभग 21 वर्ष पुत्रगण नन्द लाल साकिनान मौजा–नगर खास, तप्पा–हवेली, परगना नगर पूरब, तहसील व जिला बस्ती 16– अली अहमद उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र हौसिलदार, साकिन मौजा–टेमा, तप्पा–हवेली, परगना नगर पूरब, तहसील द जिला–बरती 17– अब्दुल मन्नान उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र नसरुल्लाह साकिन मौजा–मरवटिया, तप्पा–दुबखरा, परगना नगर पूरब, तहसील व जिला–बस्ती 15/1/1–भरतराम उम्र लगभग 47 वर्ष 15/1/2–शत्रुघन उम्र लगभग 40 वर्ष 15/1/3–अंगद उम्र लगभग 33 वर्ष पुत्रगण– नन्दलाल साकिनान मौजा–नगर खास, तप्पा–हवेली, परगना नगर पूरब, तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 30–11–2026
अपील बनराजी अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट
इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 30 महीना 11 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजवीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।
आज बतारीख माह सन 20 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–253/2024
विजयनाथ पाण्डेय
बनाम
जगम्बा प्रसाद पाण्डेय आदि
1. जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय उम्र लगभग 57 साल पुत्र रामपूजन पाण्डेय 2. शोभा देवी उम्र लगभग 80 साल पत्नी रामपूजन पाण्डेय साकिन गुलौरा तप्पा कोरऊ परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 24–12–2026
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 24 माह 12 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सरुश हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती उत्तराधिकार प्रकीर्ण वाद सं0 180/2026
श्रीमती गीतांजली –सायलान
1–श्रीमती गीतांजली आयु लगभग 35 वर्ष 2–श्रीमती पुष्पांजली आयु लगभग 35 वर्ष 3–श्रीमती श्रद्धा राव आयु लगभग 31 वर्ष 4–कु0 ज्योति उर्फ श्वेताराव आयु लगभग 25 वर्ष पुत्रीगण–स्व0 रामकेश सभी निवासीगण मौजा– अजगैवा जंगल, टोला– अर्जुनवीरो, तप्पा– शिवपुर, परगना– बस्ती पूरब, तहसील–मानपुर, जिला– बस्ती
–सायलान
तारीख पेशी 22–11–2026
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफफा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद
हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (सी0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 22–11–2026 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।
अलमरकूम माह सन 20 ई0।
द0 हाकिम

कार्यालयः सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, बस्ती मण्डल, बस्ती

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री राम उजागिर द्वारा अध्यक्ष की हैसियत से संस्था जय मां काली जी सेवा संस्था एण्ड वेलफेयर समिति, ग्रा०–कोहडा,पोस्ट अमौना पाण्डेय तह० भानपुर, जिला बस्ती के पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क व प्रपत्र प्रस्तुत किये गये है। प्राप्त अभिलेख के अनुसार सर्व श्री 01 श्री पृथ्वीराज–अध्यक्ष, 02 श्री बृजलाल –उपाध्यक्ष, 03. श्री अनिल कुमार–कोषाध्यक्ष, 04. श्री महेश कुमार–उपकोषाध्यक्ष, 05. श्री सूरज कुमार–सचिव, 06. श्री अशोक कुमार गुप्ता–उपसचिव 07 श्री मेवालाल –सदस्य. 08. श्री राधेश्याम –सदस्य, 09 श्रीमती जनक दुलारी–सदस्य दर्शाये गये है।
अतः यदि किसी व्यक्ति को उक्त संस्था के पंजीकरण पर आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा और गुण–दोष के आधार पर संस्था के पंजीकरण सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी।
विदित हो कि उक्त नोटिस सो०रजि०एक्ट 1860 की धारा 3(1) के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।
आज्ञा से
(जेनिथ कान्त)
सहायक रजिस्ट्रार
बस्ती मण्डल बस्ती।

मौत मानकर किया अंतिम संस्कार, अचानक जिंदा घर लौट आया व्यक्ति

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। नेपाल के मोरंग जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सड़क दुर्घटना में मौत के बाद जिस व्यक्ति का परिवार अंतिम संस्कार कर चुका था, वह अचानक जीवित घर लौट आया। इतना ही नहीं, परिवार उसकी मौत के नाम पर दुर्घटना बीमा की राशि भी प्राप्त कर चुका था। मृत घोषित किए गए 37 वर्षीय पदमबहादुर राई के जीवित लौटने से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। पुलिस ने मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी है। मोरंग जिले के लेटांग नगरपालिका–5, खेरवा निवासी पदमबहादुर राई के बारे में बताया गया कि नौ जून 2026 को बराहक्षेत्र नगरपालिका–4 स्थित चतरा–पकली सड़क खंड पर मोटरसाइकिल की टक्कर से एक पैदल यात्री घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए विराट टीचिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अगले दिन 10 जून को उसकी मौत हो गई।

मृतक की पहचान नहीं होने पर शव को कोशी अस्पताल के शवगृह में रखा गया था। इसके बाद पुलिस ने सार्वजनिक सूचना जारी कर परिजनों से संपर्क करने की अपील की। सूचना मिलने पर पदमबहादुर की मां पुलिस के पास पहुंचीं और शव की पहचान अपने बेटे के रूप में की। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। परिवार ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। परिवार ने पदमबहादुर की मौत मानकर उसके नाम पर मिलने वाली दुर्घटना बीमा की राशि भी प्राप्त कर ली थी। परिवार को विश्वास था कि सड़क हादसे में उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद अचानक उसके जीवित घर लौटने से पूरा मामला उलट गया। मोरंग पुलिस ने भी मृत घोषित किए गए व्यक्ति के जीवित लौटने की पुष्टि की है। पुलिस के अनुसार, घटना सामने आने के बाद मामले की दोबारा जांच की जा रही है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि शव की पहचान में गलती कैसे हुई और किन परिस्थितियों में दूसरे व्यक्ति का शव पदमबहादुर का मान लिया गया। पुलिस के मुताबिक, पदमबहादुर फरवरी 2026 से ही परिवार के संपर्क में नहीं थे। वह बिना जानकारी दिए भारत चले गए थे। इसके बाद घर नहीं लौटे। इसी बीच सड़क दुर्घटना में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस की सार्वजनिक सूचना देखने के बाद उनकी मां ने शव को अपने बेटे का समझकर पहचान की थी।

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट
अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच, कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com